275

भी घटल बिहारी वाजपेत्री (ग्वालियर) : सभापति जी, मैं दो मिनट ग्रापका चाहता है। यह एक प्रोप्राइटी का सवाल है। कल एक विदेशी महमान का हमने सैन्ट्राल हाल में स्वागत किया । यद्यपि वह सोवियत कम्यनिस्ट पार्टी के जनरल सैकेटरी हैं फिर भी हमने उन्हें एक हैंड भ्राफ दी स्टेट का डदर्जा दिया। हम ने उन्हें वडी इज्जत दी। मझे यह देख कर बडा दख हम्रा कि सैन्ट्रल हाल में बैठने का जो इंतजाम किया गया था उस में इस सदन के एक सदस्य डा० शंकर दयाल शर्मा को पहली रो में बैठने के लिए कहा गया। डा० शंकर देशाल शर्मा रूलिंग पार्टी के प्रेसीडन्ट हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं । लेकिन पालियामैंट में उनका कोई दर्जा नहीं है। वहां ए० पो० गर्मा भी बैठे थ, वह डिप्टो लिडर हैं, मैं समझ सकता ह श्री हायों भी बैठे थे, उन की बात भी मेरी समझ में आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रसीडैन्ट को सैन्ट्रल हाल में होने वाले किसी भी समारोह में पहली रो में कैसे वैठाया जा सकता है ? मैं समझता हं जो ऋछ कल हुआ वह ठीक नहीं हमा था स्रीर स्नाप हमारो भावनायें स्पीकर साहव तक पहुंचा दें।

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam): Sir, I always respect the views of Shri Vajpayee. Yesterday I had noticed that the leaders of the opposition parties were given seats on the front row. Dr. Shankar Dayal Sharma is the leader of the ruling party.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Not in Parliament.

DR. HENRY AUSTIN: Mr. Breznnev is the leader of the ruling party there. Dr. Shankar Daya! Sharma is the leader of the ruling party here, and naturally he should be given a seat along with other party leaders. If he was not given a seat in the front row, what would Mr. Brezhnev think? Would he not think that the leader of the ruling party here has not been given a seat in the front row? I am sorry Mr. Vajpayee should have raised this point hore.

भी प्रदल शिहारी वाजपेयी: सभापति महोदय, माफ कीजिए, देखिए इन्होंने बहस णुरू कर दी। डा० शंकर दयाल शर्मा पालि-यामैन्ट में कांग्रेस पार्टी के लोडर नहीं है। बाहर बह कांग्रेस पार्टी के लिडर हैं। ग्रगर बह पालियामैन्ट में कांग्रेस पार्टी के लीडर होंते तो प्रइम मिनिस्टर होते।

MR. CHAIRMAN: The House will now adjourn and re-assemble at 3 P.M.

13.53 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fifteen of the Clock,

The Lok Sabha reassembled after Lunch at two Minutes past Fifteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up Private Members' Business. Shri Madhu Limaye to introduce his Bill.

15.02 hrs.

UNTOUCHABILITY (OFFENCES)
AMENDMENT BILL*

[AMENDMENT OF SECTIONS 2, 9 ETC.]

श्री मधु लिमये (बांका): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पेण करने की अनुमति चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Untouchability (Offences) Act,1955".

The motion was adopted.

भी नषु लिनवे : मैं विधेयक पेश करता हू।

^{*}Published in Gazet'e of India Extra ordinary, Part II, section 2, dated 30.11.73